सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023 *Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 21, 2023

संख्या प.4(23)कृषि/ग्रुप-2/2022 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.11.2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, इटावा के क्षेत्र में से उप तहसील खातौली की 11 ग्राम पंचायते क्रमशः खातौली, तलाब, जटवाड़ा, बोरदा, ककरावदा, बालूपा, बागली, केथूदा, ढीपरी चम्बल, नीमोला एवं सीनोता के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नवीन कृषि उपज मंडी समिति, खातौली की स्थापना के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.04.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे उप तहसील खातौली की 11 ग्राम पंचायते क्रमशः खातौली, तलाब, जटवाड़ा, बोरदा, ककरावदा, बालूपा, बागली, केथूदा, ढीपरी चम्बल, नीमोला एवं सीनोता के समस्त क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.04.2023 के द्वारा अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, खातौली का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'द' श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः-</u>

1. श्री बलराम प्रजापति आ0 मांगीलाल कुम्हार ग्राम मियाना, पोस्ट नीमोला, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अन्य पिछडा वर्ग)
2. श्री हरिओम बैरवा आ0 रामकुवांर ग्राम झोपडिया, पोस्ट जटवाडा वाया खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अनुसूचित जाति)
3. श्री ओमप्रकाश आ0 रामस्वरूप मीना ग्राम बांगरोद पोस्ट बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अनुसूचित जाति)
4. श्रीमती अनामिका शर्मा पत्नि श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट ग्राम व पोस्ट खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (महिला-सामान्य)

5. श्रीमती लक्ष्मी मीना पत्नि श्री प्रेमचन्द मीना, ग्राम व पोस्ट ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (महिला अनुसूचित जनजाति)
6. श्रीमती बिजन्ता बाई पत्नि श्री हिमेन्द्र ब्रजवासिया ग्राम बरनाहाली पोस्ट ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा जिला कोटा (महिला अन्य पिछडा वर्ग)

व्यापारी वर्गः-

1.श्री रमेशचन्द्र गर्ग आ0 श्री लड्डूलाल गर्ग ग्राम व पोस्ट खातोली तहसील पीपलदा जिला कोटा

सहकारी विपणन संस्था:-

1. श्री भैरूलाल गुर्जर आ0 श्री धन्नालाल (अध्यक्ष कैथूदा ग्राम सेवा सहकारी समिति, कैथूदा) ग्राम धनवा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

सदस्य ग्राम पंचायत खातोली

1. श्री लेखराज सिंह आ0 श्री गिरधर सिंह उपसंरपच ग्राम पंचायत खातोली मुकाम व पोस्ट खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

1. श्री हेमराज नागर आ0 गजानन्द ग्राम फतेहपुर पोस्ट तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा

विधानसभा का सदस्यः-

1.श्री रामनारायण मीणा विधायक पीपल्दा

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, खातौली से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।